भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1307
उत्तर देने की तारीख: गुरूवार, 31 जुलाई, 2025
09 श्रावण, 1947 (शक)

राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक

1307. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एएसआई ने राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को नामित और अधिकृत किया है;
(ख) यदि हाँ, तो स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इन स्थलों के संरक्षण हेतु संबंधित राज्य सरकारों को एएसआई द्वारा आवंटित की गई निधि कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): जी, नहीं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए स्मारकों के अलावा अन्य स्मारकों का संरक्षण और अनुरक्षण राज्य का विषय है। अतः संबंधित राज्यों के सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, इन स्मारकों के अनुरक्षण का उतरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि राज्य संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण किया जाना संबंधित राज्यों का उतरदायित्व है।

*****